मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 164 / 2025

1. हीरा सिंह पुत्र मोठा सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र मोठा सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. गुरचरण सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह पुत्र मोठा सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– – वादीगण

बनाम

1. अंग्रेज कोर पत्नी मोठा सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. छिन्द्र कौर पुत्री मोठा सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. चरणजीत कौर पत्नी जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. सोनवीर कौर पुत्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. गगनदीप कौर पुत्री जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. जसवीर कौर माता जसमेल कौर उर्फ गुरमेल कौर पुत्री हजूर सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. गुरदीप सिंह माता जसमेल कौर उर्फ गुरमेल कौर पुत्री हजूर सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. सुखविन्द्र कौर माता जसमेल कौर उर्फ गुरमेल कौर पुत्री हजूर सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. हरगोविन्द सिंह माता जसमेल कौर उर्फ गुरमेल कौर पुत्री हजूर सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. मन्दर सिंह उर्फ महेन्द्र सिंह माता जसमेल कौर उर्फ गुरमेल कौर पुत्री हजूर सिंह जाति जटसिख साकिन चन्दडा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 09/10/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से श्री हीरालाल [illegible] अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 10 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद [illegible] दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा [illegible] अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि चक 17 जेड.डब्लयू.डी. के खाता सं. 34 के प.नं. 56/369 की कुल 2.530 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 2 के 1/24 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 के 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 ता 5 प्रत्येक के 1/120 हिस्सा व जसमेल कौर के 527/6325 हिस्सा व खाता सं. 33 के प.नं. 56/369 की कुल 1.265 हैक. मे से प्रतिवादी सं. 2 के 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 ता 5 प्रत्येक के 1/30 हिस्सा का

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादीगण को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 व जसमेल कौर का नाम हक व हिस्सा कमलमन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 9/10/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.31 16:32:57 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा